सार-समाचार

क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन

बांसवाड़ा, (निसं)। पुलिस लाईन सभागार में जस्ट राईट फोर चिल्ड्रन, पुलिस विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बेणेष्वर लोक विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जिले के थानो के बाल कल्याण अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संस्थानों के साथ बालश्रम, बन्धुआ मजदूरी व मानव दुर्व्यापार के खिलाफ क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस उप अधीक्षक श्याम सिंह चारण ने बताया कि शिक्षा का असली मतलब संवेदनशील बनना है। हम सभी की डिग्रीया कागज का पुलिंदा है और हमे छोटे से छोटे बाल संरक्षण के काम को पूर्ण संवेदनशील होकर पूर्ण करना है तभी हमारी शिक्षा असली शिक्षा होगी। हमे अपराध रोकने के लिए जनता को जागरूक करना पडेगा तथा कुरीतियों की जड तक पहुंचना होगा और बालश्रम, बालविवाह उन्मूलन हेतु जनता को जागरूक करना पडेगा तभी यह कुरीति समाप्त हो पायेगी। इसलिए समाज के सभी लोगो की जिम्मेदारी लेनी पडेगी।

विधिक जागरूकता वाहन रवाना

देवगढ़, (निसं)। एसीजेएम न्यायालय, देवगढ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को आमजन में विधिक जागरूकता हेतु चलाई जाने वाली प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस पहल का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी पहुँचाना है। उक्त वाहन पर अधिकार मित्र विजयलक्ष्मी धाभाई तथा गमन सिंह द्वारा ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर आमजन को विधिक सेवा कार्यक्रमों लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकर योजना, महिलाओं एवं वृद्धजनों के अधिकारों, बाल विवाह रोकथाम, सामान्य कानूनों से संबंधित पेम्प्लेट्स का वितरण कर जानकारी प्रदान की जाएगी।इस अवसर पर अधिवक्ता शांतिलाल,गोविंद कंसारा, गोवर्धन गुर्जर, लादूनाथ योगी,नरेंद्र सिंह,सुरेश जोशी, भवानी सिंह सहित कार्यालय के कर्मचारी सुदर्शन पुरोहित, सुनील गुप्ता, सतपाल शर्मा, लोकेश व्यास, घनश्याम बाजिया, विजेंद्र सिंह एवं योगिता सिंह की उपस्थिति रही।

जमीन हड़पने का मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने आरोपी व उसकी पत्नि के खिलाफ धोखे से पीडित की जमीन हडपने का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित जीतमल पुत्र रूपलाल जैन निवासी रावलिया गोगुन्दा हाल मधुलिका अपार्टमेंट भदार रोड़ सूरत गुजरात ने आरोपी शांतिलाल पुत्र भंवरलाल जैन निवासी उत्तरी सुन्दरवास तथा पत्नी लीला पत्नी शांतिलाल निवासी उत्तरी सुन्दरवास के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमं पीडित ने बताया कि मैं सूरत में कपडे का कारोबार करता हूं तथा आरोपी मेरे पास सूरत में मेरे पास नौकरी करता हैं। लंबे समय से काम करने से संबधं अच्छे हो गए। इस पर उत्तरी सुन्दरवास में दोनों ने बीस वर्ष पूर्व सामलाती में एक भूखण्ड खरीदा था। गत दिनों आरोपी ने पूरे भूखण्उ को अपने नाम करवा दिया। इसका पता पडताल की तो आरेपी द्वारा धोखाधड़ी करने की जानकारी सामने आई। इस पर पुलिस को सूचना कर प्रकरण दर्जकरवाया।

सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत

उदयपुर, (कासं)। जावरमाइंस थाना क्षेत्र में बाइक की टक्कर से घायल मा बेटे की एमबी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार झावर माइन्स थाना क्षैत्र अमरपुरा रोड़ पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाईक चालक रमेश(40) पुत्र काना तथा चम्पाबाई (55) पत्नी काना गंभीर घायल हो गए।

विधायक माहेश्वरी ने विकास कार्यों की प्रगति का लिया जायजा

राजसमंद, (निसं)। राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने शुक्रवार को अपने जन सुनवाई केंद्र पर राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और जन समस्याओं के निस्तारण की विस्तृत समीक्षा करना था। विधायक माहेश्वरी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए पारदर्शिता और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर

■ विधायक दीप्ति ने ली ग्राम सचिवों की बैठक, विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें, यह सभी पंचायत प्रतिनिधियों और सचिवों की सामूहिक जिम्मेदारी है। आगामी विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने पर बल देते हुए विधायक ने सचिवों को योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने जन शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल, सुचारू और त्वरित बनाने पर विशेष जोर दिया, ताकि प्रत्येक पंचायत में जनविश्वास की भावना मजबूत हो सके। सभी ने अपने सुझावों और अनुभवों के आधार पर विकास कार्यों की प्रभावशीलता बढाने पर विचार साझा किए। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने दोहराया कि ग्राम पंचायतें ग्राम स्वराज की नींव हैं और उनकी मजबूती से ही समाज का समग्र विकास संभव है। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आव्हान किया ।विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने विधायक जन सुनवाई केंद्र पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में राजसमंद क्षेत्र के नागरिकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में बडी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी विभिन्न जन समस्याओं, आवश्यकताओं और स्थानीय मुद्दों को विधायक के सामने रखा। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने नागरिकों की बातों को गंभीरता से सुना और कई मामलों में तत्काल संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। विधायक माहेश्वरी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का मंतव्य है कि जन समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और अधिकतम राहत देने की भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जन अपेक्षाओं की पूर्ति प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और प्रत्येक अधिकारी को इस दिशा में पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माणों की गुणवत्ता पर जन निगरानी अत्यंत आवश्यक है, ताकि कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। अंत में माहेश्वरी ने राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को विश्वास दिलाया कि उनकी समस्या का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनहित से जुडे हर कार्य में वे पूरी संवेदनशीलता के साथ संलग्न रहेंगी।

जनसंवाद कार्यक्रम में आमजन की समस्यांए सुनती विधायक दीप्ति माहेश्वरी।

जगदीश मंदिर में देवस्थान का दान पात्र काउंटर लगाने पर हंगामा

उदयपुर, (कासं)। प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में निर्जला एकादशी पर देवस्थान विभाग की ओर से दान पात्र का काउंटर लगाने को लेकर हंगामा हो गया।

असल में पुजारी परिवार के सदस्यों और भक्तों ने इस बात को लेकर विरोध जताया कि आज देवस्थान विभाग ने यह नया प्रयोग यहां क्यों किया।मंदिर में देवस्थान विभाग का स्टाफ भी लगाया गया। वे भगवान के नाम पर दान देने वालों को रसीद भी दे रहे थे।इस बात की जानकारी पुजारी परिवार के सदस्यों और वहां के स्थानीय भक्तों को लगी तो इसका विरोध किया। देखते ही देखते आसपास से भक्त भी आ गए। उनका तर्क था कि यह नई व्यवस्था क्यों की गई है। इस बीच पुजारी परिवार ने काउंटर नहीं हटाने पर दर्शन नहीं खोलने की चेतावनी दे दी गई। मामला बढ़ने पर घंटाघर थाने से पुलिस मौके पर पहुंची।

शोर के बीच एक व्यक्ति ने गुस्से में कहा. इस काउंटर को बंद कर दीजिए नहीं तो वह रसीद बुक फाड़ देगा। देवस्थान के स्टाफ के जूते पहने हुए थे,इसको लेकर भी विरोध हुआ। स्टाफ का तर्क था कि जहां जूते खोले जाते है,वहीं तक पहने थे। मंदिर के अंदर नहीं लेकर गए थे।पुजारी परिषद का कहना है. यह आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर है। इसमें मंदिर खुद की आय पर भी चलता है। महाराणा जगत सिंह के समय से पुजारी यहां सेवा करते आ रहे है। आज अनाधिकृत रूप से पहली बार भेंट का काउंटर लगाया गया है। इसका सब विरोध करते है। पुजारियों ने चेतावनी दी कि इसे नहीं हटाया गया तो दर्शन बंद कर देंगे। मामले की जानकारी पर कलेक्टर नमित मेहता ने देवस्थान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरा मामला देखें और व्यवस्थाएं बनाए। निर्देश मिलने पर करीब पांच मिनट बाद मैनेजर सुमित्रा सिंह, इंस्पेक्टर सुनील मीणा ने काउंटर हटा दिया।

पीएचडा की उपाधि

उदयपुर (कासं)। पेसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर ने शिक्षा संकाय की शोधार्थी ऋचा शर्मा को पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की है। शोध कार्य से संबंधित एक शोध पत्र प्रतिष्ठित (रेफरीड) जर्नल में प्रकाशित किया गया है। साथ ही उन्होंने अपने शोधकार्य पर आधारित दो शोध पत्र राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रस्तुत किए हैं। प्रमाण पत्र के अनुसार ऋचा शर्मा ने यूजीसी द्वारा निर्धारित 2016 के न्यूनतम मानकों और प्रक्रियाओं के तहत अपना शोधकार्य पूर्ण किया। पी.जी. स्टडीज के डीन द्वारा प्रमाणित इस उपलब्धि के साथ ऋचा शर्मा ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है।

एसएफआई ने प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन

डूंगरपुर, (निसं)। स्टूडेंट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया जिला सचिव विक्रम डामोर के नेतृत्व में एसबीपी कॉलेज के विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की मांग को लेकर ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा। महाविद्यालय में दो जगह पर पानी के आरओ प्लॉट लगे हैं,लेकिन इस भीषण गर्मी में भी न पानी फिल्टर हो रहा है न ही पानी ठंडा दोनों आरओ काफी समय से बन्द पडे है,इन्हें तुंरत प्रभाव से सुचारू रूप से शुरू किए जाए। महाविद्यालय के सभी कक्ष कक्षाओं की नियमित साफ सफाई करवाई जाए, तथा अस्त व्यस्त पडे फर्नीचर को रख रखाव किया जाए, महाविद्यालय में अधूरा पडे रंग रोंगन कार्य पूर्ण किया जाए, महाविद्यालय का जो बॉयज होस्टल है काफी समय से खण्डहर अवस्था मे पडा है हॉस्टल की जमीन पर लोगों के अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं, कई लोगों में अपने मकान की आड में हॉस्टल की जमीन पर कब्जा किया है। इन कब्जों को तत्काल रूप से हटवाया जाए और एक जमीदार की नियुक्ति की जाएए।

बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन

डूंगरपुर, (निसं)। स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में सकल जैन समाज बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन गुरुवार को हुआ। 8 जून तक होने वाली इस प्रतियोगिता श्री जैन नवयुवक मंडल की ओर से आयोजित किया जा रहा है।

प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच के पहले दिन 25 मैच हुए प्रतियोगी ने अपने मैच जीत कर अगले दौर मे प्रवेश कियाए धीरेन्द्र गाँधी ने बताया कि सभी मैच नॉक आउट प्रारूप में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि अनिल पारीख, विशिष्ठ अतिथि प्रायोजक नीरव कोटडिया ने कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों का परिचय कराते हुए स्वागत महामंत्री सुनील जैन ने किया। प्रारंभ में भगवान महावीर की तस्वीर के सम्मुख अतिथियों ने कार्यक्रम का आगाज किया। जैन नवयुवक मडंल के अध्यक्ष राजेश डेंडू ने इस आयोजन से सकल जैन समाज के युवा एक साथ खेल कर एक जुटता का संदेश देंगे। मुख्य अतिथि अनिल पारीख ने समाज के खेल के प्रति सभी युवाओं की प्रशंसा करते हुए आयोजन की सराहना की। इस दौरान जैन नवयुवक मण्डल के महामंत्री सूर्याप्रकाश जैन व कोषाध्यक्ष हर्षवर्धन जैन, सयोजक एवं अनुशासन समिति के सदस्य धीरेन्द्र गाँधी, मनोज मेहता, अखिलेश जैन, दिग्पाल गाँधी, रवि सेठ, सिद्धार्थ मेहता, नरेश जैनए पवन जैन, विजय जैन, आंनद जैन, भावेश जैन आदि मौजूद रहे।

बिजली लाइन रखरखाव के बहाने चारागाह से काट दिए सैकड़ों हरे पेड़

कानोड़, (निसं)। कानोड़ के चामुंडा माता सड़क मार्ग पर जहां पर सरकारी भूमि पर लगभग 50 अधिक पेड़ हैं जिन्हें बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली लाइन के रखरखाव के बहाने काट दिए। कुछ को जमीन से ही धराशाही कर दिया तो कुछ का डंठल ही रखा, मामला तब खुला जब पर्यावरण प्रेमी व ग्रामीणों ने इस मामले को उठाया और विभाग के ही लाइनमैन कमलेश मीणा सहित कर्मचारियों पर पेड़ काटने के आरोप लगाए। जबकि नियम यह है कि बिजली विभाग बारिश से पूर्व बिजली लाइन के मेंटेनेंस के लिए बिजली बंद रखते हुए पेड़ों की डालियां जो बिजली लाइन से टच हो रही है , उनको हटाने का कार्य करता है। लेकिन नियमों के विरुद्ध जाकर बिजली विभाग के लाइनमैन व ठेकेदार के कर्मचारियों ने इन सभी पेड़ों को पूरी तरह से कटवा दिए। यह जानकारी पाकर पर्यावरण प्रेमी मौके पर पहुंचे और स्थिति देखी तो विभाग के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे।

पर्यावरण प्रेमी दीपक शर्मा सहित लोगों का कहना था कि विभाग पेड़ लगाने के बजाय उसको कटवा रहा है , जो नियम विरुद्ध है, राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित परिंदों का आशियाना उजाड़ने वाले इन दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घिनौनी करतूत करने से पहले कर्मचारी सोचे । लोगों का तो इतना तक कहना है कि विभाग के लाइनमैन ने इन पेड़ों को कटवा कर वहीं पर बेच दिया जबकि यह कार्य नियम विरुद्ध है। लोगों ने उक्त दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है । इधर मामला उठने के बाद विभाग पेड़ गिनने में लगा है, जानकारी के अनुसार विभाग के अधिकारियों का कहना है, 10 पेड़ से अधिक होंगे तो मुकदमा दर्ज होगा, लोगों का चेतावनी भरे लहजे में कहना है, साहब एक पेड़ को बड़ा करने में कितना समय लगता है यह शायद आपको पता नहीं है, और ऐसा है तो भी वहां अनगिनत पेड़ आपके कर्मचारियों ने काट दिए , फिर कैसे मुकदमा दर्ज नहीं होता हम भी देखते हैं।

बिजली विभाग द्वारा पेड़ काटने की सूचना पर पहुंचे पर्यावरण प्रेमी सहित मीडिया से बचने और अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जुटे नजर आए। हालांकि विभाग के जिम्मेदार अतिरिक्त चार्ज अधिकारी ने बिजली विभाग द्वारा ही पेड़ काटने की बात को स्वीकार करते वह कहा कि बिजली लाइन से टच होने वाली डालियों के अलावा पेड़ काटना नहीं चाहिए अगर किसी ने काटे हैं तो गलत है। लेकिन दोषी लाइनमैन व कर्मचारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करना विभाग के अधिकारियों की मिली भगत को दर्शा रहा है।इस पूरा घटनाक्रम के बाद विभाग लापरवाह लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई करेगा या फिर ठेकेदार के कर्मचारी मजदूर के विरुद्ध कार्रवाई कर औपचारिकता पूरी कर देगा यह एक सवाल बना हुआ है ? क्योंकि अधिकतर मामलों में मुख्य आरोपी बच निकलता है और गरीब मजदूरों को इसकी सजा भुगतनी पड़ती है । ठामीणों ने बताया की ठेकेदार के कार्मिकों को पेड़ों को कटवाने के निर्देश देने वाले लाइनमैन कमलेश मीणा पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर इस मामले को जैसे तैसे निपटा दिया जाएगा । लोगों ने चेतावनी भी दिए कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें आंदोलन करने को विवश होना पड़ेगा।

कृषि अनुसंधान केन्द्र
(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर)
दाह्येद रोड़, बोरवट फार्म, बाँसवाड़ा (राज.) 327001
Mo. No. 8112207969 / 9414389929 Mail ID: zdr_arsb@yahoo.com, Visit us : www.mpuat.ac.in
क्रमांक : एफ( )/कृअके/2024-25/129-134 दिनांक 03.06.2025

निविदा सूचना (2025-26)

कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा के लिये कृषि कार्य हेतु पंजीकृत संवेदक/ठेकेदार से अपेक्षित अनुभव क्षमताओं के साथ मासिक कार्य / कार्यानुसार हेतु खुली निविदाएं बंद लिफाफों में आमन्त्रित की जाती है। पंजीकृत संवेदक/ठेकेदारों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में देनी होगी। निविदा प्रारूप, सम्पूर्ण नियम एवं शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpuat.ac.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदा प्रारूप प्राप्ति की अन्तिम तिथि 12.06.2025 प्रात: 11.00 बजे तक रहेगी। उक्त निविदायें उसी दिन प्रात: 11.30 बजे तक जमा की जाकर मध्यान्ह् 12.00 बजे कमेटी की उपस्थिति में खोली जावेगी। निविदा प्रारूप जमा करवाते समय कार्य के सामने वर्णित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करवानी होगी।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.)	धरोहर राशि (रू.)	निविदा शुल्क (रू.)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, बोरवट फार्म बांसवाड़ा पर संचालित बी.टी. कपास परियोजनाओं में कृषि कार्य।	7,00,000/-	14,000/-	500/-

संभागीय निदेशक अनुसंधान

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
विधि/वसूली विभाग, मंडल कार्यालय, उदयपुर
एलआईसी भवन, तीसरा तल, सबसिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर
फोन नंबर: 0294-2688008/09/22/26, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि
अधोहस्ताक्षरकर्ता **श्री राजेश कुमार मित्तल** ने **पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **श्री गणपत दान चारण पुत्र श्री देवी दान चारण एवं जमानतदार श्री पंकज तातेड़ पुत्र श्री बाबू लाल तातेड़** पर मांग सूचना दिनांक 21.03.2025 पर उस **सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर दिनांक 21.03.2025 को बकाया राशि रू. 1,58,079.15 (रूपये एक लाख अठावन हजार उन्नासी एवं पैसे पन्द्रह मात्र) (दिनांक 27.02.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए) प्लस इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।
ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 02, माह जून,** वर्ष 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।
कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।
ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 01.06.2025 को बकाया राशि रू. 1,62,604.15 (रूपये एक लाख बासठ हजार छह सौ चार एवं पैसे पन्द्रह मात्र) प्लस इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **पंजाब नैशनल बैंक,** आलोक स्कूल शाखा, उदयपुर के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री गणपत दान चारण पुत्र श्री देवी दान चारण के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो मकान नं. 35, आराजी नं. 1604 से 1607, बालाजी नगर, गाँव मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट है।
सीमाएं– उत्तर: प्लॉट नं. 36, दक्षिण: प्लॉट नं. 34, पूर्व: रोड़ 40 फीट चौड़ी, पश्चिम: प्लॉट नं. 20
हस्ता.
स्थान : उदयपुर (राजेश कुमार मित्तल)
दिनांक : 02.06.2025 प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
विधि/वसूली विभाग, मंडल कार्यालय, उदयपुर
एलआईसी भवन, तीसरा तल, सबसिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर
फोन नंबर: 0294-2688008/09/22/26, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)

जबकि
अधोहस्ताक्षरकर्ता **श्री राजेश कुमार मित्तल** ने **पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **श्री उदय लाल डांगी पुत्र श्री गोपा डांगी, श्री सुरेश डांगी पुत्र श्री उदय लाल डांगी एवं श्री रमेश डांगी पुत्र श्री उदय लाल डांगी** पर मांग सूचना दिनांक 18.03.2025 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 28.02.2025 को बकाया राशि** रू. 15,31,720/- **(रूपये पन्द्रह लाख इकतीस हजार सात सौ बीस मात्र)(दिनांक 28.02.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए) प्लस इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।
ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 02, माह जून,** वर्ष 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों को कब्जे में ले लिया है।
कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।
ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 01.06.2025 को बकाया राशि रू. 15,58,267/- (रूपये पन्द्रह लाख अठावन हजार दो सौ सड़सठ मात्र) प्लस इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **पंजाब नैशनल बैंक,** सुखेर शाखा, उदयपुर के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्तियों का वर्णन

सम्पत्ति 1– सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री सुरेश डांगी पुत्र श्री उदय लाल डांगी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो गाँव मानपुरा, लखावली, खसरा नं. 3411, संकल्प नं. 04, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर, राजस्थान 313011 पर स्थित है, जिसका प्लॉट क्षेत्रफल 2268 वर्ग फीट है।
सीमाएं– उत्तर: श्री प्रकाश पुत्र श्री सोहन लाल का मकान, दक्षिण: श्री रमेश पुत्र श्री उदय लाल की भूमि, पूर्व: श्री दल्ला पुत्र श्री गंगाराम की भूमि, पश्चिम: रोड़ एवं उसके बाद श्री उदय लाल का मकान
सम्पत्ति 2– सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री उदय लाल डांगी पुत्र श्री गोपा डांगी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो गाँव मानपुरा, लखावली, खसरा नं. 3411, संकल्प नं. 04, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर, राजस्थान 313011 पर स्थित है, जिसका प्लॉट क्षेत्रफल 2268 वर्ग फीट है।
सीमाएं– उत्तर: रोड़, दक्षिण: स्वयं की भूमि, पूर्व: रोड़ एवं श्री प्रकाश पुत्र श्री सोहन लाल का मकान, पश्चिम: रोड़ एवं उसके बाद श्री नन्दलाल जी का मकान
हस्ता.
स्थान : उदयपुर (राजेश कुमार मित्तल)
दिनांक : 02.06.2025 प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक

कार्यालय ग्राम पंचायत बरोडिया, पंचायत समिति भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक: -14 दिनांक-30.04.2025

-: ई निविदा सूचना संख्या : 01/2025-26:-

इस ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज योजनान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमो के तहत जी.एस.टी. में पंजीकृत / प्राधिकृत डीलर, एक मात्र वितरक, थोक विक्रेता, लघु उद्योग ईकाईया , सिद्ध विपणन कर्ताओं व सम्बन्धित संविदादारों को जो सम्बन्धित कार्य करते हो, से ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदाए निम्नानुसार आंमत्रित की जाती है। निविदादाता को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार निविदा शुल्क रू 1000 /- का E Grass चालान एवं धरोहर राशि रू 1,00,000 /-(निविदा की अनुमानित लागत का 02 प्रतिशत) के डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक संबंधित ग्राम पंचायत के नाम से व प्रोसेसिंग फीस रू 1500 का E Grass चालान निर्धारित दिनांक व समय तक ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करवाना होगा । धरोहर राशि, निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, सम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पर उस निविदादाता की ऑनलाईन निविदाऐ खोली नही जाएगी। निविदा से संबंधित विस्तृत शर्ते संलग्न की जा रही है। ऑनलाईन निविदाए निर्धारित दिनांक एवं समय पर क्रय कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय / निर्देशित स्थान पर खोली जायेगी। समस्त विवादो का न्याय क्षैत्र भीण्डर जिला उदयपुर होंगा।

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	धरोहर राशि (ग्राम पंचायत के नाम)	निविदा शुल्क (बजट मद 0075.00. 800.52.01)	प्रोसेसिंग फीस (बजट मद 8568 00 102 16.03)	निविदा आवेदन डाउनलोड/ अपलोड करने की दिनांक	कार्यालय में निविदा शुल्क, धरोहर राशि व प्रोसेसिंग फीस जमा कराने की दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	बरोड़िया	50 लाख	1.00 लाख	रूपये 1000	रूपये 1500	10.06.2025 6:00 PM	11.06.2025 1:00 PM	11.06.2025 2:00 PM

शर्ते-

1. निविदा सूचनाव शर्ते एवं पूर्ण विवरण जानकारी **sppp.rajasthan.gov.in** व **eproc.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।
2. निविदा ग्राम पंचायत के लिए ई प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल **eproc.rajasthan.gov.in** पर ही प्रस्तुत की जावेगी। प्राप्त निविदाएं ग्राम पंचायत मुख्यालय / अथवा क्रय समिति द्वारा निर्देशित स्थान पर नियत तिथि व समय पर क्रय समिति द्वारा उपरिथत निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार /अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति एवं सक्षम प्राधिकारी का होगा।
3. निविदा के साथ नवीनतम जीएसटी प्रमाण पत्र एवं पिछले माह की जी.एस. टी. रिटर्न तथा आयकर पेन कार्ड की प्रति, पिछले 3 वर्षो के टर्न ऑवर (सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षित अन्तिम खाते व बेलेन्स शीट तथा आयकर विवरणी) की प्रति एवं अन्थ वांछित प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
4. सशर्त डाक व ई मेल से प्रेषित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. शेष शर्ते निविदा प्रपत्र में अंकित अनुसार होगी।

प्रशासक
ग्राम पंचायत बरोड़िया
पं.स.भीण्डर,
जिला-उदयपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बरोड़िया
पं.स.भीण्डर,
जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी
उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए)
क्रमांक: LU2012/UDP/2024-25/103863 दिनांक: 06/06/2025
लोक सूचना

श्री Dinesh Wadhwani पुत्र श्री Balkishan Wadhwani जाति Sindhi निवासी 58 Jyoti Nagar Shobhagpura 100Feet Road Udaipur ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	शोभागपुरा, बड़गांव (उदयपुर)	Dinesh Wadhwani S/o Balkishan Wadhwani	1581/983, 1589/984	165	0.0165
				कुल	0.0165

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।
उपर्युक्त नियम समय के भीतर भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 06-06-2025 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी
उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए)
क्रमांक: LU2012/UDP/2024-25/103809 दिनांक: 06/06/2025
लोक सूचना

श्री Anup Kataria पुत्र श्री Bhajan Lal Kataria जाति Kataria निवासी 1 MA 42 Gayatri Nagar Sec 5 Manwa Khera Udaipur ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	शोभागपुरा, बड़गांव (उदयपुर)	Anup Kataria S/o Bhajan Lal Kataria	1578/983, 1586/984	165	0.0165
				कुल	0.0165

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।
उपर्युक्त नियम समय के भीतर भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 06-06-2025 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

कृषि अनुसंधान केन्द्र
दाह्येद रोड़, बोरवट फार्म, बाँसवाड़ा (राज.) 327001
(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर)
Mo. No. 8112207969 / 9414389929 Mail ID: zdr_arsb@yahoo.com, Visit us : www.mpuat.ac.in
क्रमांक : एफ( )/कृअके/2025-26/123-128 दिनांक 31.05.2025

निविदा सूचना (2025-26)

कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा के लिये कृषि कार्य हेतु पंजीकृत संवेदक/ठेकेदार से अपेक्षित अनुभव क्षमताओं के साथ मासिक कार्य / कार्यानुसार हेतु खुली निविदाएं बंद लिफाफों में आमन्त्रित की जाती है। पंजीकृत संवेदक/ठेकेदारों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में देनी होगी। निविदा प्रारूप, सम्पूर्ण नियम एवं शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpuat.ac.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदा प्रारूप प्राप्ति की अन्तिम तिथि 12.06.2025 प्रात: 11.00 बजे तक रहेगी। उक्त निविदायें उसी दिन प्रात: 11.30 बजे तक जमा की जाकर मध्यान्ह् 12.00 बजे कमेटी की उपस्थिति में खोली जावेगी। निविदा प्रारूप जमा करवाते समय कार्य के सामने वर्णित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करवानी होगी।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.)	धरोहर राशि (रू.)	निविदा शुल्क (रू.)
फल अनुसंधान केन्द्र, जलदाय विभाग के पीछे, बांसवाड़ा तथा कृषि अनुसंधान केन्द्र बोरवट फार्म, बांसवाड़ा पर संचालित कपास, मक्का, PVT परियोजना में कृषि कार्य।	723575/-	14500/-	500/-

संभागीय निदेशक अनुसंधान